(17)

न्यायालय माननीय [illegible] ती महल ग्वालियर संभाग ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 14 रिवीजन R 474-J/14

पुनरीक्षणकर्ता — 1. विपडन सहकारी संस्था मर्यादित लटेरी जिला बिदिशा द्वारा प्रबधक कमलेश शर्मा पुत्र श्री ज्वाला शर्मा उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी तहसील लटेरी जिला बिदिशा म.प्र.

बनाम

रस्पान्डेन्ट्स — 1. श्रीमान तहसीलदार, तहसील लटेरी जिला बिदिशा म.प्र.

2. राजस्व निरीक्षक मण्डल (1), आन्नदपुर तहसील लटेरी जिला बिदिशा म.प्र.

पुनरीक्षण याचिका राजस्व अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता 1959 जो कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लटेरी द्वारा मामला क्रमांक 2 /2013–14 में पारित आदेश 31.01.2014 से उद्भुत हुई जिसके द्वारा श्रीमान तहसीलदार [illegible] रूप से एवं विधि अनुसार ना की गई सीमांकन रिपोर्ट को स्वीकार किया गया उक्त आदेश की प्रति एनेक्जर ए–1 के रूप में संलग्न है।

पुनरीक्षण याचिका के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि विपडन सहकारी संस्था मर्यादित लटेरी जिला बिदिशा का म.प्र. सहकारी समितिया अधिनियम 1960 के अन्तर्गत पंजीबद्ध है और उसका पंजीयन क्रमांक /ए आर/वि.डी. एस/528 है उक्त संस्था की ओर से प्रबंधक उक्त पुनरीक्षकण याचिका को प्रस्तुत करने के लिये सक्षम हैं। प्रमाणपत्र की प्रति एनेक्जर ए /2 के रूप में संलग्न है।

2. यह कि उक्त संस्था को [illegible] द्वारा सर्वे नम्बर 1152–53 में [illegible]

[illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 474--एक / 14 जिला -- विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3--4--14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के संबंध में है जिसमें तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा प्रकरण दर्ज कर आवेदक संस्था को जवाब हेतु सूचनापत्र जारी किए जाने के निर्देश दिए हैं । आवेदक को अपना पक्ष तहसीलदार के समक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है वे अपना पक्ष evidence तहसीलदार के समक्ष रखें इस स्तर पर निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है । परिणामतः निगरानी अग्राह्य की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा. सदस्य	